COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

83

R 516-II/07 30/- -1.

न्यायालय- राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. /2007 नि.मा.

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कालीचरन पुत्र बैज नाथ उम्र 62 वर्ष
पेशा खेती निवासी ग्राम जामुना पर.व
जिला भिण्ड (म.प्र.)

श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव एड.
द्वारा आज दि० 28-3-07 को प्रस्तुत।

आवेदक

बनाम

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1. राम नरेश | पुत्रगण
2. राम औतार | बैजनाथ

दोनो विकृतचित सरपस्ती भतीजे वा पुत्र
वासुदेव पुत्र काली चरन निवासी ग्राम
जामुना पर.व जिला भिण्ड (म.प्र.)

3. भरत लाल पुत्र बैजनाथ

4. राहुल | नाबालिग
5. कल्याण | पुत्रगण

भरत लाल व सरपस्ती माँ लीलावती
पत्नी भरत लाल निवासी ग्राम जामुना
पर. व जिला भिण्ड (म.प्र.)

अनावेदक गण

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालयअपर आयुक्त चम्बल
सम्भाग मुरैना डी एम गीता अन्तर्गत प्र.क्र. 54/04-05 अ
मा. तारीखी 31-1-07

28-3-07
(सच्चिदानन्द श्रीवास्तव)
एडवोकेट

माननीय महोदय,

निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि,मौजा जामुना परगना व जिला भिण्ड मे स्थित विवादित

...2

न अवध रूप से अपने पुत्रो ने सरपस्त

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 516–दो/07 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2017	. यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 54/2004–05 /अपील में पारित आदेश दिनांक 31–1–07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम जामना स्थित विवादित भूमि की प्रविष्टि अपने नाम कराने हेतु आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 से 3 द्वारा सहमति के आधार पर किए जाने बावत आवेदन विचारण न्यायालय सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष पेश किया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने परिवर्तन पंजी कमांक 36 में सहमति के आधार पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 से 3 के नाम प्रविष्टि प्रमाणित की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 27–6–01 द्वारा स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने दिनांक 21–6–02 को आदेशपारित करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा कि वे सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करें और यदि आवश्यक हो तो उभयपक्षों को सुनकर विधिवत आदेश गुणदोषों पर	

निग0 516-II/07

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित किया जाये । प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण आदेश दिनांक 4—2—05 द्वारा अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में उद्धरित किये हैं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सिविल न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है अतः सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । 4/ आवेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया । 5/ अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सिविल न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील कमांक 562/2011 में पारित आदेश दिनांक 25—11—11 द्वारा स्थगित किया गया है और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है । अतः उसी अनुसार प्रकरण का निर्णय किया जाये । 6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा लगभग 9 वर्ष विलंब से	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 516–दो/07 . जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जबकि सहायक बंदोवस्त अधिकारी के द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है । सहमति से आदेश पारित होने से स्पष्ट है कि आवेदकगण को सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है और उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश की जानकारी उन्हें 9 वर्ष नहीं थी । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रत्येक दिन के विलंब का कारण भी आवेदक द्वारा नहीं दर्शाया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह उचित और न्यायिक है तथा उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है व्यवहार न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा वह राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा और व्यवहार न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार पक्षकार राजस्व न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकारों को सूचना दी जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	